



कृषि विभाग

सहायक निदेशक शाष्य भूमि संरक्षण, नालंदा

अल्पकालीन

किसानों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

कार्यालय सहायक निदेशक(शाष्य) भूमि संरक्षण, नालंदा के अधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कुल 27 इकाई निजी बोरवेल किसानों के खेत पर योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

योजना का व्यौरा निम्नवत है:-

1. योजना की प्राक्कलित राशि— Rs.-67300.00 (4 ईंच व्यास 160 फीट गहराई PVC बोरिंग)
2. देय अनुदान — योजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000.00(तीस हजार) रुपया
3. कार्य क्षेत्र(प्रखण्ड)— बिहारशरीफ, चंडी, सिलाव, हिलसा, कतरीसराय, नगरनौसा, सरमेरा एवं थरथरी प्रखण्ड।

इच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र में हस्तालिखित/टंकित आवेदन पत्र निबंधित डाक द्वारा दिनांक 24.11.2022 से दिनांक 03.12.2022 तक कार्यालय—सहायक निदेशक(शाष्य) भूमि संरक्षण, नालंदा जिला कृषि कार्यालय परिसर, सदर अस्पताल के सामने, पटेल नगर, बिहारशरीफ पिन कोड—803101 पर भेज सकते हैं। आवेदन के साथ किसान अपने जमीन का रसीद/LPC की स्वअभिप्राणित प्रति, किसान रजिस्ट्रेशन की स्वअभिप्राणित प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर प्राप्त निबंधित आवेदनों के प्रेशण तिथि एवं समय के आधार पर दिया जायेगा। इससे संबंधित पूर्व में कार्यालय में प्राप्त आवेदन निदेशानुसार निरस्त किये जाते हैं।

सहायक निदेशक (शाष्य)
भूमि संरक्षण, नालंदा

आवेदन पत्र प्रारूप

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना BGREI (SUB PLAN)

शैलो गहराई के नलकूप हेतु आवेदन पत्र

निजी बोरवेल (160'0" x 0'4")

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| किसान का नाम:- | फोटो | | | | |
| पिता / पति का नाम:- | | | | | |
| ग्राम:- | | | | पंचायत:- | थाना:- |
| पोस्ट:- | | | | प्रखण्ड:- | |
| कृषक श्रेणी:- | मोबाइल नं:- | | | | |
| अनुसूचित जाति:- () | अनुसूचित जनजाति:- () | पिछळी जाति:- () | | | |
| अल्प संख्यक:- () | महिला:- () | सामान्य जाति:- () | | | |
| उम्र:- | आधार नं:- | किसान रजिस्ट्रेशन नं:- | | | |
| किस प्लॉट पर नलकूप लगाया जाना है, उसका विवरण :- | | | | | |
| मौजा:- | खाता नं:- | प्लॉट नं:- | रकवा (एकड़):- | | |
| भू धारकता के साक्ष्य के रूप में भू—स्वामित्व प्रमाण पत्र/भू—लगान रसीद (अद्यतन की प्रति संलग्न) | | | | | |
| बैंक का नाम..... | शाखा..... | ब्रांच में बचत खाता है | | | |
| जिसका खाता नं..... | | एवं आई०एफ०एस०सी० कोड नं..... | | | |
|है। | | | | | |

1. मैं स्वीकृति पत्र मिलने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नलकूप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दुँगा। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सही एवं जमीन संबंधी कागजात की छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में मेरे द्वारा दिये गये हैं। मेरे स्वयं की भूमि में अंकित भू—खंड मेंएकड़ कृषि योग्य भूमि है।
2. आवेदित नलकूप के लिए किसी संस्था से वित्तीय सहायता नहीं ली गयी है तथा उस भू—खंड पर पहले से कोई नलकूप नहीं है।
3. मैं अपने देख—रेख में नलकूप का अधिस्थापन कराऊगा तथा इसमें लगने वाले सामग्रियों को मापदण्ड के अनुरूप उपयोग करूंगा।

किसान का हस्ताक्षर /
अगुँठे का निशान

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।